

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्था)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain

(An autonomous organisation under Ministry of Education, Govt. of India)

4. 4-9/2025 (47/ATT) MSNUP/ 1791

दिनांक/Date: 7.09.2025

अधिसूचना/Notification-

विषयः वेद पाठशालाओं / गुरु शिष्य परम्परा इकाइयों द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अधिकृत करने के संबंध में।

Sub: Authorizing Veda Pathshalas / Guru Shishya Parampara Units to issue Vidyalaya Transfer Certificate to students-reg.

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन एवं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, उज्जैन से समबद्ध समस्त वेद विद्यालयों / वेद पाठशालाओं / गुरु शिष्य परम्परा इकाईयों को एतद् द्वारा विद्यार्थियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए एवं आवश्यकतानुसार विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है:

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain and Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Sanskrit Shiksha Board, Ujjain hereby authorize all the affiliated Veda Vidyalayas / Veda Pathshalas / Guru Shishya Parampara Units to issue Vidyalaya Transfer Certificates to students, adhering to the following instructions and as per requirement:

a. विद्यार्थीं को किसी एक वेद विद्यालय / वेद पाठशाला / गुरु शिष्य परम्परा इकाई से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण हेतु इच्छुक माता / पिता / अभिभावक द्वारा 'अ' प्रपत्र में विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र हेतु किए गए आवेदन को प्राप्त करना संबंधित वेद विद्यालय / वेद पाठशाला / गुरु शिष्य परम्परा इकाई के लिए अनिवार्य है।

It is mandatory for the Veda Vidyalaya / Veda Pathshala / Guru Shishya Parampara Unit concerned to receive the application (Form A) for a Vidyalaya Transfer Certificate from the mother / father / guardian of the student who wishes to transfer his ward from one Veda Vidyalaya / Veda Pathshala / Guru Shishya Parampara Unit to another Vidyalaya.

b. तदुपरान्त वेद विद्यालय / वेद पाठशाला / गुरु शिष्य परम्परा इकाई को प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर उपलब्ध र्लिक (https://msrvvp.ac.in/tcform/) के माध्यम से विद्यार्थी के विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र का विवरण ऑनलाइन भरना होगा। साथ ही मूल आवेदन को भी अपलोड करना होगा।

Subsequently, the Veda Vidyalaya / Veda Pathshala / Guru Shishya Parampara Unit must fill out the details of the student's Vidyalaya Transfer Certificate online through the link (https://msrvvp.ac.in/tcform/) available on the website of the Pratishthan. Along with this, the original application will also have to be uploaded.

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पो.ऑ. जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Page 1 of 3

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN - 456006 (M.P.)

दूरभाष/Telephone : 0734 - 2502266, 2502254, ई-मेल/E-mail : msrvvpujn@gmail.com, वेब-साईट/Website : www.msrvvp.ac.in

on the website of the Pratishthan. Along with this, the original application will also have to be uploaded.

विद्यार्थी का विवरण भरकर विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र के प्रपत्र को डाउनलोड किया जा सकता है।
इसके उपरान्त विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र के प्रपत्र (विद्यालय एवं विद्यार्थी प्रति) को A4 आकार के हरे
रंग के टिप्पण पत्र (नोटशीट) पर प्रिंट किया जाए।

The proforma of Vidyalaya Transfer Certificate may be downloaded by filling out the details of students. Thereafter, the proforma of Vidyalaya Transfer Certificate (school and student copy) should be printed on an A4 size green colored note sheet.

d. प्रतिष्ठान की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए एवं उसके उपरांत प्रिंट किए हुए विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र के प्रपत्र को वेद विद्यालय / वेद पाठशाला / गुरु शिष्य परम्परा इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रपत्र के दोनों प्रतियों को हस्ताक्षारेत एवं मुहरयुक्त कर विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र के रूप में जारी किया जाए।

The proforma of Vidyalaya Transfer Certificate downloaded from the website of the Pratishthan and printed thereafter should be issued as Vidyalaya Transfer Certificate by the authorized signatory of the Veda Vidyalaya / Veda Pathshala / Guru Shishya Parampara unit after signing and stamping both the copies of the proforma.

e. विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु वेद विद्यालय / वेद पाठशाला को विद्यालय के किसी वरिष्ठ वेद अध्यापक को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नामित करना होगा। गुरु शिष्य परम्परा इकाई में वेद अध्यापक विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होंगे। इसका दुरुपयोग करने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

For issuing Vidyalaya Transfer Certificate, the Veda Vidyalaya / Veda Pathshala must nominate a senior Veda teacher of the Vidyalaya as authorized signatory. In the Guru Shishya Parampara Unit, the Veda teacher will be the authorized signatories for issuing the Vidyalaya Transfer Certificate. An appropriate action will be taken if it is misused.

f. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा जारी विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र पूर्णतः अस्तित्वहीन एवं अमान्य होगा।

Vidyalaya Transfer Certificate issued by any person other than the authorized signatory will be totally non est and invalid.

g. विद्यार्थीं को विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने के उपरान्त इसकी विद्यालय प्रति एवं विद्यार्थीं का पूर्व विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाणपत्र की मूल प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जाए। प्रतिष्ठान द्वारा आवश्यक होने पर अनिवार्य रूप से इन अभिलेखों को उपलब्ध कराना होगा।

After issuing the Vidyalaya Transfer Certificate to the student, its school's copy and the original copy of the student's previous school transfer certificate

Page 2 of 3

should be kept safe in the Vidyalaya. These records must be made available as and when required by the Pratishthan.

h. वेद विद्यालय / वेद पाठशाला / गुरु शिष्य परम्परा इकाई द्वारा विद्यार्थी को विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु कोई शुल्क न लिया जाए।

Veda Vidyalaya / Veda Pathshala / Guru Shishya Parampara unit should not charge any fee for issuing Vidyalaya Transfer Certificate to the student.

i. यदि विद्यार्थी प्रतिष्ठान से वित्तपोषित है तो विद्यार्थी को 'विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र' जारी करने की लिखित सूचना प्रतिष्ठान को अवश्य दी जाए अन्यथा विद्यार्थी को जारी की गई सहायता राशि की वसूली वेद विद्यालय / वेद पाठशाला /गुरु शिष्य परम्परा इकाई से की जाएगी।

If the student is financially aided by the Pratishthan, then a written information regarding issuance of 'Vidyalaya Transfer Certificate' to the student must be given to the institution, otherwise the assistance amount released to the student will be recovered from the Veda Vidyalaya / Veda Pathshala / Guru Shishya Parampara unit.

2. वेद विद्यालय / वेद पाठशाला / गुरु शिष्य परम्परा इकाई द्वारा जारी विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र को प्रतिष्ठान / बोर्ड को प्रतिहस्ताक्षर(Countersign) करने हेतु प्रेषित न किया जाए। इस संबंध में प्राप्त किसी भी पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

The Vidyalaya Transfer Certificate issued by the Veda Vidyalaya / Veda Pathshala / Guru Shishya Parampara Unit should not be sent for countersignature to the Pratishthan / Board. No correspondence received in this regard will be entertained.

(प्रो.विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)

सचिव

संलग्न/Encl: यथोपरि। / As above.

प्रतिलिपि / Copy to:

- 1. सहायक निदेशक (शैक्षणिक) / Assistant Director (Academics)
- 2. सहायक निदेशक (परीक्षा) / Assistant Director (Examination)
- 3. सहायक निदेशक (शोध एवं प्रकाशन) / Assistant Director (Research & Publication)
- 4. समस्त सम्बद्धित वेद पाठशालाओं / गुरु शिष्य परम्परा इकाइयों / All affiliated Veda Pathshalas / Guru Shishya Parampara Units
- 5. रक्षित पत्रावली/ Guard file

प्रपत्र अ /Form A

विद्याल	य स्थानान्तरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रप	র/ Application:	form for School	l Transfer Certificate	
आवेदन दिनांक/Date of	Application				विद्यार्थी का
आवेदक का विद्यार्थीं से सम्बन्ध Relationship of Applicant to Student		माता/Mother	पिता/Father	अभिभावक/Guardian	नवीनतम फोटो Latest photograph
आवेदक का नाम/Name of the Applicant		La agencia		· /	of the student
आवेदक का आधार नं./A	adhaar No. of the Applicant	189			
आवेदक का पता/Address of the Applicant				y .	
विद्यार्थी का नाम / Name	of the Student (In full)				
पिता का नाम / Name of the Father				7	
माता का नाम / Name of the Mother					
जन्म तिथि (अंकों में) / Date of Birth (In figures)				a .	
	ate of Birth (In words)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
बालक / बालिका / Boy /					<u></u>
राष्ट्रीयता / Nationality					
धर्म / Religion					
वर्ग/Category	वेदभूषण/Vedabhushan	सामान्य/ General	अन्य पिछडा वर्ग · OBC	SC	अनुसूचित जनजाति/ST
कक्षा / अध्ययन वर्ष / Class/Year of Study	(कक्षा 6 से 10 /Class 6 to 10)	प्रथम/1 st	द्वितीय/2 nd	तृतीय/3 rd चतुर्थ/4 th	पंचम/5 th
	वेदविभूषण/Vedavibhushan (कक्षा 11 & 12 /Class 11 & 12)	प्रथम/1 st		द्वितीय/2 nd	
वेद शाखा / Veda Shakh					
विद्यार्थी का आधार नम्बर/Student Aadhaar Number					
पूर्व विद्यालय का नाम/Name of the Last Vidyalaya Attended					
वेद पाठशाला / गुरु शिष्य परम्परा इकाई छोड़ने का कारण / Reason for Leaving Veda Pathashala / Guru Shishya Parampara Unit			•		
I hereby declare that knowledge and belief देनांक / Date :	ती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी the information provided i	in this applica	ition is true a	nd accurate to the	
स्थान/ Place :		आवे	दिक के हस्ताक्षर /	Signature of Applica	nt

MON

^{*} विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। /There is no fee payable for Vidyalay Transfer Certificate.